

न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, टोंक

(सुरेश चौधरी, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

48 / 2023

15.03.2023

लाला पुत्र मदन जाति मोग्या निवासी ग्राम दूनी, ग्राम पंचायत दूनी, तहसील दूनी
जिला टोंक राज.

.....अपीलांट

बनाम

तहसीलदार दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक राज0

.....रेस्पोंडेण्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार दूनी दिनांक 28.12.2022
मिसल नम्बर 548 / 2022

उपस्थिति : (1) श्री विजय पारीक, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, राजकीय पेरोकार रेस्पोंडेण्ट

निर्णय

दिनांक 02.07.2024

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 28.12.2022 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि आराजी खसरा नम्बर 1416 रकबा 2.00 हैक्टेयर किस्म जमीन चरागाह वाके ग्राम दूनी पर फसल सरसों काशत कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी मानते हुए अपीलांट को भूमि से बेदखल करने, वार्षिक लगान 16.00 रु. का 50 गुणा जुर्माना कुल 800 रु. जमा कराने तथा 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार दूनी के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के



365


बदरिखत जिला कलेक्टर
टोंक

प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस की प्रोपर तामिल अपीलांट पर नहीं हुई, नोटिसों पर अपीलांट के कोई हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलांट की अनुपस्थिति दर्ज की गई है किन्तु उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिए बिना ही अपीलान्ट के विरुद्ध एकतरफा में निर्णय पारित किया है। निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया और न ही मौके की वास्तविक वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई और बिना मौके पर गये निर्णय पारित किया है। अपीलांट के विरुद्ध हलका पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट की गई है, पटवारी हलका की रिपोर्ट दुर्भावनापूर्वक की गई है। अपीलांट को पूर्व में भौतिक रूप से बेदखल किये जाने बाबत हलका पटवारी द्वारा कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं दी है और न ही इस बाबत कोई विश्वसनीय सबूत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये हैं जिससे अपीलांट के विरुद्ध पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित नहीं होता है। पटवारी हलका ने रिपोर्ट किस तारीख को, कब व किसके सामने तैयार की, इसका भी अंकन निर्णय में नहीं है। उक्त आराजीयात पर वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और मौके पर अब अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे स्वीकार किया जावे। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूनी का निर्णय दिनांक 28.12.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है। नोटिस पर अपीलांट की प्रोपर तामिल हुई है व अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलान्ट ने भूमि आराजी आराजी खसरा नम्बर 1416 रकबा 2.00 हैक्टेयर किस्म जमीन चरागाह वाके ग्राम दूनी पर फसल सरसों काशत कर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल संख्या 501/2022 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल कर दिया गया था किन्तु अपीलांट ने पुनः उक्त भूमि पर काशत कर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतिक्रमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट व राजकीय परोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं



हुआ है। अपीलान्त ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने व भविष्य में पुनः कब्जा नहीं
का शपथ पत्र पेश किया था जिसकी सत्यता की जांच हेतु तहसीलदार दूनी से कब्जा
संबंधी मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार दूनी ने मौका रिपोर्ट पत्र क्रमांक 1006 दिनांक
31.05.2024 से प्रेषित की जिसमें अंकित किया है कि अतिक्रमी द्वारा उक्त भूमि पर से
अतिक्रमण हटा लिया है एवं वर्तमान में मौके पर भूमि खाली है। मौका रिपोर्ट से स्पष्ट होता है
कि अपीलांत ने अतिक्रमित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ
न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय
तहसीलदार दूनी के निर्णय दिनांक 28.12.2022 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड
को यथावत रखा जाता है, परन्तु अपीलांत को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की
जाती है। अपीलांत को हिदायत दी जाती है कि यदि उसके द्वारा भविष्य में उक्त भूमि अथवा
अन्य किसी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर कानूनी
कार्यवाही की जावेगी। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।



दिनांक 02.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक